3626
14/06/2022

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय : "घुनिया (कैबर्त्त)" जाति को राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–11 पर दर्ज "केवर्त्त, माहिस्य" के बाद दर्ज करने के संबंध में।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम 2001 में संधारित तथा समय–समय पर यथासंशोधित अत्यन्त पिछड़े वर्गो के सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–11 पर "केवर्त्त, माहिस्य (Mahisya)" समाविष्ट है।

2. झारखण्ड पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग अधिनियम 2002 की धारा–9 (1) के अधीन पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन में "घुनिया (कैबर्त्त)" जाति को राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–11 पर दर्ज "केवर्त्त, माहिस्य" के बाद शामिल किये जाने की सलाह निम्नवत् दी गयी है :–

"आयोग की खण्डपीठ, प्रश्नावली तथा जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संग्रहीत, सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति की सूचनाओं, तथ्यों एवं गवाहों के बयानों तथा स्थानीय पदाधिकारियों के बयानों को देखते हुए आयोग राज्य सरकार को यह सलाह/परामर्श देती है कि घुनिया (कैबर्त्त) जाति को झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–I) के क्रमांक–11 पर दर्ज केवर्त्त, माहिस्य जाति के बाद जाति घुनिया (कैबर्त्त) को समावेशित किया जाय।"

3. सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि "घुनिया (कैबर्त्त)" जाति अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) में सम्मिलित करने के योग्य है। अतः "घुनिया (कैबर्त्त)" जाति को राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–11 पर दर्ज "केवर्त्त, माहिस्य (Mahisya)" के बाद निम्नवत् सम्मिलित किया जाता है:–

क्रमांक	वर्तमान प्रविष्टि	संशोधित प्रविष्टि
11	केवर्त्त, माहिस्य (Mahisya)	केवर्त्त, माहिस्य, घुनिया (कैबर्त्त)

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एंव सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 का सुसंगत अंश इस हद तक संशोधित माना जायेगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति को झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

10.6.22
(वंदना दादेल)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–19 / 2018 का०– 3626 / रांची, दिनांक 14/06/2022

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची / निबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची / महाधिवक्ता, झारखण्ड / मुख्य सचिव के सचिव / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों / राज्य के सभी लोक उपक्रमों / निगमों / निकायों / परिषदों / विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

10.6.22

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–19 / 2018 का०– 3626 / रांची, दिनांक 14/06/2022

प्रतिलिपि :– सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची / सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची / सचिव, झारखण्ड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, राँची / निदेशक, डॉ0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.6.22

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–19 / 2018 का०– 3626 / रांची, दिनांक 14/06/2022

प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकुट–1, भिखाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली–110066 / निदेशक (एस0 सी0 डी0), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि झारखण्ड राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित करने के संबंध में यथा स्थिति कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

10.6.22

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–19 / 2018 का०– 3626 / रांची, दिनांक 14/06/2022

प्रतिलिपि :– सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेन्स विभाग, झारखण्ड, राँची / राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, झारखण्ड, राँची को तद्नुसार ऑन–लाईन जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने सम्बन्धी राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची में वांछित परिवर्द्धन करने हेतु अग्रसारित।

10.6.22

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–19 / 2018 का०– 3626 / रांची, दिनांक 14/06/2022

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

10.6.22

सरकार के प्रधान सचिव।